समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू–अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

—: आम सूचना :—

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि The Right to fair compenensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा– 04 अंतर्गत अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा के 1600MW ताप विद्युत परियोजना हेतु रेलवे लाईन साईडिंग निर्माण परियोजना हेतु अंचल गोड्डा एवं अंचल पोड़ैयाहाट में अधिगृहित अधियाचित कुल रकवा– 93.161 एकड़ के लिए सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। श्री बैधनाथ फाउण्डेशन, देवघर के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के संक्षिप्त विवरण को समुचित जगह पर प्रकाशित किया जा चुका है।

उपरोक्त अधिनियम के धारा– 05 अंतर्गत सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन के प्रतिवेदन हेतु लोक सुनवाई किया जाना है। दिनांक– 28.06.2018 को 9:00 बजे पूर्वाहन में निम्नलिखित स्थान/विवरण के अनुसार लोक सुनवाई निर्धारित की जाती है:–

अंचल	पंचायत	ग्राम का नाम	थाना नं0	अधियाचित रकवा (एकड़)	लोक सुनवाई हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी	लोक सुनवाई स्थल
1	2	3	4	5	6	7
गोड्डा	मोतिया	कारीकादो	307	9.181	1. श्री अरूण कुमार एक्का, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, गोड्डा। 2. श्री पवन कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा। 3. श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, अंचल अधिकारी, गोड्डा।	पंचायत भवन, पैरडीह के सामने खाली बथान।
		नयावाद	308	5.715		
	पैरडीह	कौड़ीबहियारमाल छिंट	508	10.304		
		कौड़ीबहियारघाट	509	20.153		
		कौड़ीबहियारमाल	510	19.005		
		गोढ़ीघाट	513	3.889		
		कानाडीह	512-514	1.371		
पोड़ैयाहाट	देबन्धा	गुम्मा	30	23.543	1. श्री अनिल कुमार तिर्की, अपर समाहर्त्ता, गोड्डा। 2. श्री राहुल जी आनंद जी, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा। 3. श्री विजय कुमार, अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट।	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बेलबरना, गुम्मा के सामने खाली स्थान।
			कुल अधियाचित रकवा–	93.161	एकड़	

प्रभावित संबंधित ग्राम के अंतर्गत परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों से अनुरोध है कि उक्त लोक सुनवाई में उपस्थित होकर सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन के संबंध में अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे।

26/6/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक :......621....../भूअ0 गोड्डा दिनांक :....13.06.2018....

प्रतिलिपि :– 1. प्रभावित क्षेत्र के ग्राम पंचायत के प्रतिनिधिगण को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक :......621....../भूअ0 गोड्डा दिनांक :....13.06.2018....

प्रतिलिपि :– 1. आरक्षी अधीक्षक, गोड्डा को सूचना प्रेषित। अनुरोध है कि लोक सुनवाई हेतु विधि–व्यवस्था संधारण के लिए प्रर्याप्त पुलिस बल प्रतिनियुक्त करने का कष्ट करेंगे।

2. अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा लोक सुनवाई हेतु विधि–व्यवस्था संधारित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। आम सूचना को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे।

3. प्रशासक–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/प्रशासक–सह–निदेशक, डी0आर0डी0ए0, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आम सूचना को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे।

4. अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/निदेशक, डी0आर0डी0ए0, गोड्डा/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट/अंचल निरीक्षक, गोड्डा/ पोड़ैयाहाट/संबंधित क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि लोक सुनवाई में ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

5. जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि आम सूचना को दो स्थानीय भाषा के क्षेत्रीय संस्करण के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रकाशित समाचार पत्रों के प्रेस कतरन को जिला भू–अर्जन कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

6. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

7. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा/पोड़ैयाहाट को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्रभावित क्षेत्र के ग्राम पंचायत प्रतिनिधिगण को आम सूचना की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना सुनिशित करे एवं तामिला प्रति जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा को उपलब्ध करायेंगे।

8. अंचल अधिकारी, गोड्डा/पोड़ैयाहाट को निदेश है कि लोक सुनवाई से संबंधित आम सूचना को सूचना–पट पर प्रदर्शित करते हुए प्रचार–प्रसार डुगडुगी बजाकर प्रभावित क्षेत्रों में करवाना सुनिश्चित करेंगे।
9. निदेशक, श्री बैधनाथ फाउण्डेशन, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि बैठक में भाग लेने हेतु स्वंय या अपने नोडल पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
10. वरीय उपाध्यक्ष, अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि आवश्यक व्यवस्था यथा– मंच/टेन्ट/प्रर्याप्त कुर्सी/पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। लोक सुनवाई हेतु प्रचार–प्रसार में अंचल अधिकारी, गोड्डा/पोड़ैयाहाट को सहयोग करेंगे।

12/6/18

उपायुक्त,
गोड्डा।